



आदेश

संयुक्त निदेशक, पंचायत राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3837 दिनांक 18-06-2019 के आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 21651/2018 रंजन कुमार एवं अन्य वनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-06-2019 को पारित आदेश के आलोक कार्यालय आदेश ज्ञापांक 980 दिनांक 27-06-2019 द्वारा निर्गत आदेश को तत्कालीक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

३०

जिलाधिकारी
भागलपुर

ज्ञापांक 1033-2019-987 / पंचायत, भागलपुर दिनांक 29.06.2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 3837 दिनांक 18-06-2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।

जिलाधिकारी
भागलपुर

29/6/19